महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

दीक्षान्त/अति आवश्यक

निविदा जारी की तिथि 10.09.2025
निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय
दिनांक 15.09.2025 समय अपरान्ह् 2.00 बजे
निविदा खुलने की तिथि एवं समय
दिनांक 15.09.2025 समय अपरान्ह् 2.30 बजे
निविदा शुल्क 1000/-
अनुमानित लागत : रूपये 9.90 लाख
बोली प्रतिभूति राशि रूपये 19,800/-

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र 54-2

कुलसचिव,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर ।

विषयः– **निकट भविष्य में विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों एवं बैठकों हेतु टैन्ट (मंच, पण्डाल) मय लाईट, पंखें, ए.सी., कुर्सियों–कनात इत्यादि की व्यवस्था वार्षिक दर अनुबन्ध बाबत् अल्पकालीन निविदा।**

सन्दर्भः– विश्वविद्यालय की निविदा सूचना कमांक 54-2 दिनांक 10/09/25

1. निविदा सूचना संख्या दिनांक जो आपके द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों, जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, का भी हम पालन करने के लिये सहमत हैं (समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं)
2. कार्यादेश (फर्म आर्डर) प्राप्त होने की तारीख से..................................दिवस की अवधि के भीतर में कार्य कर दिया जायेगा ।
3. बिड सुरक्षा राशि हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में रू. 19800/– का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैकर संख्या............................ दिनांक......................... प्रस्तुत है ।
4. निविदा प्रपत्र शुल्क हेतु कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में रू. 1000/– का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैकर संख्या............................ दिनांक......................... प्रस्तुत है ।
5. आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क हेतु मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में रू. 500/– का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैकर संख्या............................ दिनांक......................... प्रस्तुत है ।
6. वित्तीय बिड में अंकितानुसार कार्य एवं सामान व मजदूरी एंव समस्त व्ययों सहित दरें अंकित कर दिया गया है ।
7. प्रस्तावित दरें कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष के लिए वैद्य है। जिसकी अवधि आगे तीन माह तक के लिये पारस्परिक सहमति से बढाई जा सकेगी।
8. निर्धारित घोषण पत्र संलग्न है।
9. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र तथा पेन कार्ड की प्रति संलग्न कर दी गई है।
10. निविदा शर्तानुसार अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेब साईट www.mdsuajmer.ac.in एवं राज्य सरकार की वेब साईट sppp.rajasthan.gov.in तथा https://eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
फर्म का नाम..
एवं डाक का पूरा पता...
पता...
....
मोबाईल नं0 ....

दिनांक

संलग्न उपरोक्तानुसार

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा एवं संविदा की शर्तें

1. निविदा टेन्ट संबंधी कार्य करने वाले अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायियों से आमंत्रित की जाती है। निविदादाता का स्वयं का टेन्ट व्यवसाय एवं पर्याप्त संसाधन होने चाहिये।
2. **निविदादाता फर्म के पास राजकीय कार्यालय में विभिन्न समारोंहों के आयोजन हेतु टेन्ट व लाईटिंग संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था करने का अनुभव भी होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।**
3. अंकों एवं शब्दों में अंकित दरों में अन्तर होने की स्थिति में शब्दों में अंकित दर को मान्य किया जायेगा।
4. फर्म के पास डोम संरचना में वाटरप्रूफ टेन्ट लगाने का अनुभव एवं संसाधन होना आवश्यक है।
5. फर्म को कार्यादेशानुसार एवं इस हेतु गठित समिति के निर्देशानुसार कार्य करना होगा एवं समस्त कार्य समारोह से एक दिवस पूर्व पूर्ण करना होगा। जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
6. निविदा में दी गई दरों में सभी प्रकार के सामान का किराया एवं उसका लाना, लगाना तथा समारोह के पश्चात् सामान को हटाना व वापिस ले जाना, इत्यादि सभी कार्य शामिल हैं। सभी सामान की सुरक्षा एवं उसकी चौकीदारी की जिम्मेदारी भी निविदादाता की ही होगी । इस हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जावेगी अथवा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।
7. निविदादाता को सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे धूप, तेज वर्षा (वाटर प्रूफ) हवा, आंधी इत्यादि की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंडाल को सभी दृष्टि से पूर्णरूपेण मजबूत एवं सुरक्षात्मक बनाना होगा ताकि समारोह के दौरान एकाएक किसी प्रकार का व्यवधान, दुर्घटना उत्पन्न न होवे । कार्य प्रारम्भ करने से लेकर एवं पंडाल लगाने के बाद से समारोह समाप्ति तक निविदादाता के आवश्यकतानुसार तकनीकी स्टाफ पांडाल में ही मौजूद रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध हो सकें ।
8. विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में नजदीकी इलेक्ट्रिक पाइन्ट उपलब्ध करवा दिया जावेगा, उसके आगे की समस्त वायरिंग आवश्यकतानुसार पूरे पांडाल में पूर्ण सुरक्षात्मक तरीके से दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत विद्युतकर्मी के द्वारा सभी सुरक्षात्मक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए निविदादाता को ही सुनिश्चित करनी होगी। विद्युत व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जावेगा । समस्त वायरिंग को सावधानीपूर्वक लगाना होगा। फर्श पर होने वाली वायरिंग को टेप (इंसुलेशन) लगाकर सुरक्षित करना होगा।
9. विद्युत कार्य संबंधी लापरवाही/असावधानी (स्पार्किंग) आदि से होने वाली दुर्घटना के लिए निविदादाता की ही जिम्मेदारी होगी। इस तरह की दुर्घटना के परिणामस्वरूप यदि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति अथवा जान–माल की कोई क्षति होती है तो उसकी समस्त क्षतिपूर्ति फर्म द्वारा की जावेगी। टेन्ट सामग्री के कराए जाने वाले बीमें की राशि का भुगतान भी फर्म द्वारा ही किया जावेगा।
10. समस्त सामान एकदम साफ सुथरा व नया तथा मजबूत ही प्रयोग में लेना होगा, गन्दा, फटा हुआ अथवा पैबन्द लगा हुआ या पुराना नहीं लगाया जा सकेगा, अन्यथा भुगतान देय नहीं होगा।
11. पीने के पानी की व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा परन्तु पीने के पानी के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर टेबिल मय सफेद साफ कवर उपलब्ध कराना होगा।
12. पांडाल में लगाये गये एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये समस्त सामान का सत्यापन पंडाल प्रभारी/उप/स.कु.स. (सा.प्र.)/निरीक्षण समिति के प्रमाणीकरण बाद ही तद्नुसार बिल का भुगतान संभव होगा ।
13. समारोह की व्यवस्था एवं समारोह के दौरान निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधी की गलती से विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार क्षति/आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली निविदादाता की सुरक्षा राशि तथा आवश्यकता पड़ने पर बिल की राशि से की जा सकती है।
14. समस्त कार्य संतोषप्रद सम्पन्न होने की स्थिति में ही पांडाल निरीक्षण समिति के सत्यापन के आधार पर बिल का भुगतान किया जा सकेगा ।

15. किसी भी प्रकार की विवादस्पद स्थिति में कुलगूरू का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
16. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
17. निविदा में अंकित दर में अनुमोदन बाद किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
18. किसी भी निविदा अथवा उसके भाग को बिना कोई कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकारी कुलसचिव को आरक्षित है ।
19. न्यूनतम दर/व्यय पर कार्य कराने के लिये विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है ।
20. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा अजमेर स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।
21. सफल निविदाकार को दरों के अनुमोदन पश्चात् तीन दिवस में 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा सुरक्षा राशि कर्यादेश का 5 प्रतिशत जमा कराना होगा (निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत बिड सुरक्षा राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित मान्य कर लिया जावेगा)। इसके अभाव में बिड सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
22. कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में निम्न प्रकार से शास्ती राशि संवेदक के बिल से वसूली योग्य है:–
    1. निर्धारित समय से ¼ अवधि विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत
    2. निर्धारित समय से ¼ अवधि से अधिक व ½ अवधि तक 5 प्रतिशत
    3. निर्धारित समय से ½ अवधि से अधिक व ¾ अवधि तक 7½ प्रतिशत
    4. निर्धारित समय से ¾ अवधि से अधिक के लिये 10 प्रतिशत
23. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में तथा पूर्णरूपेण नहीं किये जाने की स्थिति में कुलपति महोदय द्वारा निर्धारित राशि की कटौती बिल की राशि में से/धरोहर राशि में से की जावेगी।
24. यदि किसी परिस्थितिवश सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश मिलने के पश्चात् कार्य करने में असमर्थ रहता है तो नियमानुसार सुरक्षा राशि/बयाना राशि जब्त की जावेगी।
25. सफल निविदाकार द्वारा कार्य सम्पन्न न करने की स्थिति में निविदाकार की रिस्क एवं कोस्ट के आधार पर कार्य अन्य से कराने पर हुए अधिक भुगतान की वसूली भी निविदाकार से की जावेगी।
26. सफल निविदाकार को दरें अनुमोदित होने के तीन दिवस में अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें बोली प्रतिभूति राशि के रूप में जमा राशि का समायोजन किया जा सकेगा।
27. कारपेट की दरें भरते समय प्रति कारपेट व साईज का अंकन अवश्य किया जाना है।
28. लाईटे निर्धारित स्थान पर दक्ष (अनुभवी) पंजीकृत लाईटमैन द्वारा लगाई जावेगी किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
29. कार्य की प्रकृति यथा अतिविशिष्ट समारोह के दृष्टिगत कार्यादेश में अंकित सामग्री आदेश देने के पश्चात् समारोह/बैठक की निर्धारित तिथि से 07 दिवस पूर्व निर्धारित स्थान पर पहुँचाकर कार्य प्रारम्भ कर कार्य प्रारम्भ कर एवं निर्धारित अवधि में व्यवस्था करनी होगी। सामग्री उतारने व लगाने में कोई दुर्घटना, चोरी आदि से हुई हानि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, उचित यही होगा कि निविदादाता टेन्ट लाईट सामग्री आदि का बीमा अपने स्तर पर करवा लेवे इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी।
30. कार्य समाप्त होने पर निविदादाता द्वारा लगाए गए श्रमिकों को श्रम विभाग के नियमों के अन्तर्गत पूर्ण भुगतान करने का प्रमाण पत्र देना होगा तथा बाल श्रमिक नहीं लगायेंगे।
31. प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री (सोफा, कुर्सियां, स्टील कुर्सियां एवं टेबल इत्यादि) नई, मजबूत एवं साफ–सुथरी, समारोह की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। सामग्री, उपकरण इत्यादि समारोह की गरिमा के अनुरूप नहीं पाये जाने पर तुरन्त बदलने होंगे।
32. नियमानुसार करो की कटौती बिल से की जावेगी।
33. सामान्यतया बिड की समस्त मदों की कुल न्यूनतम राशि के आधार पर न्यूनतम बिडदाता का निर्धारण किया जावेगा। फिर भी क्रय समिति न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने हेतु बाध्य नहीं है। किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द कर सकेगी।
34. वित्तीय बिड के कॉलम संख्या 03 में अंकित मात्रा अनुमानित है इसमें आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

35. कार्यक्रम के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर जनरेटर व जनरेटर को चलाने की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर तुरन्त जनरेटर को चालू करना होगा।

36. निविदा प्रपत्र www.mdsuajmer.ac.in एवं राज्य सरकार की वेब साईट sppp.rajasthan.gov.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड करने की स्थिति में निविदा फॉर्म के शुल्क की राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, जो कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर को देय हो, संलग्न करना होगा।

37. वित्तीय बिड का लिफाफा अलग से बन्द कर उस पर वित्तीय बिड अंकित करना आवश्यक है। निविदादाता को पृथक–पृथक सील्ड लिफाफों में पृथक तकनीकी बिड व वित्तीय बिड देनी होगी। दोनों लिफाफे को पृथक से अन्य लिफाफे में सील्ड करके लिफाफे पर कार्य का नाम भी अंकित करना होगा।

38. तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने वाले निविदादता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

39. जनरेटर सैट के डीजल उपयोग के लिए हावर्स (घण्टे) विश्वविद्यालय अभियन्ता को समय–समय पर नोट कराना होगा तथा संलग्न लॉग बुक भी संधारित करनी होगी। उसी के सत्यापन के आधार पर ही डीजल की सरकारी दर से राशि का भुगतान होगा।

40. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम 2013 की शर्तें एवं विश्वविद्यालय बजट एवं लेखा नियम 1997 की अन्य सभी शर्तें लागू होगी।

41. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं समाप्ति पर समय एवं जनरेटर की रीडिंग निरीक्षण समिति को नोट करानी होगी।

42. दरें समान प्राप्त होने पर कार्यानुभव के आधार पर कार्यादेश जारी किया जायेगा।

43. फर्म को डीबार नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।

44. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी।

45. किसी भी प्रकार का वाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र अजमेर रहेगा।

46. निविदा स्याही से भरी जानी चाहिये, पेंसिल से या अन्य से भरी गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

47. गत तीन वित्तीय वर्ष का औसतन रू. 9.00 लाख वार्षिक टर्नओवर का सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

48. गत तीन वर्षों का विश्वविद्यालय/राजकीय उपक्रम में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र व कार्यादेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

फर्म का नाम..

एवं डाक का पूरा पता..

पता...

....

मोबाईल नं0 ....

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैनें/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्था/ निगम/ बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय शील) कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाय तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्त कर किया जा सकेगा तथा बिड़ को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा एवं नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता व मो. नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

तकनीकी बिड

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में निकट भविष्य में आयोजित होने वाले **12वें दीक्षान्त समारोह** हेतु टेन्ट व्यवस्था बाबत।

निविदादाता द्वारा निम्न सूचना/दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है:–

1. निविदादाता यथा संस्था, फर्म या ऐजेन्सी संबंधित कार्य के लिए सक्षम निकाय से पंजीकृत होना चाहिए, नवीनतम पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है।
2. **निविदादाता को राजकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय के समारोहों/बैठकों के आयोजन हेतु टेन्ट संबंधित व्यवस्था करने का अनुभव भी होना चाहिए तथा लगाई जाने वाली सामग्री का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिये। संबंधित कार्यादेश की प्रति व अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।**
3. बोली प्रतिभूति राशि रू. ....डी.डी./बी.सी. नं. .... दिनांक....................... जो कि कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय हो, संलग्न करें।
4. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. ....डी.डी./बी.सी. नं. .... दिनांक....................... जो कि कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में देय हो, संलग्न करें।
5. आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क हेतु मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में रू. 500/– का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैकर संख्या............................ दिनांक.......................... प्रस्तुत है ।
6. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र व पेन नम्बर संलग्न किया जाना है।
7. निविदा फर्म/कम्पनी है तो कम्पनी पंजीयन प्रमाण पत्र तथा साझेदारी फर्म है तो साझेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।

कुलसचिव
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदाकार के हस्ताक्षर मय मोहर
पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

वित्तीय बिड

क्र0सं0 1	कार्य का विवरण 2	Qty (Estimated) 3	Unit (FOR M.D.S. Uni. Ajmer Rate) 4	Rate per item per day to be Quoted (including all Charges & GST Extra) 5	Amount 6
1-	P&F and Removing of Doe Type water proof super structure with new white cloth for sitting area Convocation ground 140' x 80'	11200	Sqft.		
2-	Generator Set 125 KVA Silent without POL/Diesel with cable connection	05	Nos.		
3-	Disel for generator	Per Hour Diesel Consumption Rs. …………			
4-	Metal Light 400 Watt	100	Nos.		
5-	Cable 4 Core 25 mm 50 Mtr. long	15	Nos.		
6-	Pipe pandal water proof	4500	Sqft.		
7-	Curtain Cloth (View Cutter)	20000	Sqft.		
8-	Wooden Table with Cover and Frill 6' x 2'	60	Nos		
9-	One Dies for seven persons with leather chair and with Blue Blezer	01	Nos		
10-	Pyramid Shape water Proof canopy 15' x 15' Ft for Hi-tea	6	Nos.		
11-	Round table with Cover and Frill for Hi-tea 4' dia Radius 2'	10	Nos.		
12-	Welcome Gate of Truss 9x9 Having size of 12x12 with tri colour cloth	02	Nos.		
13-	Ply Stage for Bom, Syndicate and senet Members 12x24 ft. with carpet frill and steps	02	Nos.		
14-	Dressing Table 4' x 2'	02	Nos		
15-	Center table with cover 4' x 2'	10	Nos		
16-	Wooden high back paded chair with red velvet seat cover chair for His Excellency the Governor	10	Nos.		
17-	Tower A.C./ Three Ton	15	Nos		
18-	Pedestal Fan	20	Nos		
19-	50 mm 6 mtr. long Galvanized iron pipe with coloured silk flag	100	Nos.		
20-	White leather sofa (Two seater)	70	Nos.		
21-	Non-Woven Synthetic New Carpet (Red/Green)	20000	Sqft.		
22-	Benquet chair with white Synthetic cover (Steel pipe peded chair with white cover)	1000	Nos.		
23-	Woolen Carpet Size	5000	Sqft.		
24-	Mobile toilet for V.I.P. 4.5' x4.5' x 5.5'	02	Nos.		

25-	मंच पर माँ सरस्वती की मूर्ति व पेडस्टल, लाईट लेम्प, घी बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती, माचिस, माला इत्यादि की समस्त व्यवस्था करनी होगी।				
26-	Speech Stand with 02 Light Podium				
27-	माँ सरस्वती की प्रतिमा				
28-	वी.वी.आई.पी व्यक्तियों हेतु सफेद टॉवेल, पीछे बैठने हेतु क्युशन गद्दी तथा प्लास्टिक की नेम प्लेट्स इत्यादि।				
29-	परिसहाय हेतु एक छोटा स्टूल एवं स्ट्रेट कुर्सी				
30-	फुट रेस्ट	02			
31-	डस्टबीन	04			
32-	चौकी	01			
33-	ट्रे विद् रेड वेलवेड	08			
34-	रग 9फुट X 6 फुट	01			
35-	बैड विद् स्टैण्डर्ड मैट्रस	01			
36-	सोफा विद् एक्सट्रा कुशन	04			
37-	वायरमैस बैरिकेड/मोजो बैरिकेड (रनिंग फुट)	200			
38-	ब्लू ब्लेजर ऑन डायस (आवश्यकतानुसार)				
39-	रंगीन झण्डे दीक्षान्त स्थल एवं गेस्ट हाऊस व विश्वविद्यालय परिसर मय पोल	150			
40-	विभिन्न भवनों/गेट आदि पर अनेक रंगीन कपडों द्वारा सजावट				
41-	1. पलंग 3X6 फुट 2. रजाई, गद्दे, तकिया व चद्दर सेट	60 100			

उक्त दरों व संलग्न शर्तों के अनुसार कार्य करने की सहमति देता हूँ। उक्त सभी दरें जी.एस.टी. के अतिरिक्त, समस्त व्ययों एवं एफ.ओ.आर. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर होगी।

नोटः **न्यूनतम दर की गणना कुल राशि (समस्त आईटम) से की जाकर कार्यादेश जारी किया जायेगा।**

निविदाकार के हस्ताक्षर

फर्म का नाम...

एवं डाक का पूरा पता..

पता...

....

मोबाईल नं0 ....

Annexure A : Compliance with the Code of integrity and No Conflict of interest

Any person participation in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti –competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to.

a. Have controlling partners/shareholders in common: ot

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them, or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid'; or

f. the Bidder or any of it's a ffiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid ;or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hred) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Appellant Signature

Annexure B : Declaration be the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to may/our bid submitted to ....for procurement of --- in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document:
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competitions;

Date :
Place ;

Signature of bidder
Name
Designation;
Address:

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Vice-Chancellor MDSU, Ajmer.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Joint Secretary, Hr. Education (Gr.IV) Department, Government of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filling an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days form the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable;

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely;-

(a) Determination of need of procurement;

(b) Provisions limiting participation of Bidders in Bid process;

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) Cancellation of a procurement process;

(e) Applicability of the provisions of confidentiality,

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form alongwith as may copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies therof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Appellant' Signature

ANNEXURE D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is oontained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price sthall be corrected, unless in the opinion of the procuring Entity there is and obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the Total shall be corrected ; and

iii. if there isa discrepancy between words is related to and arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities.

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works of services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document, It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case procurement of Goods of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)
As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Appellant' Signature

Form No. 1

(see rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appeilant;
   (ii) Residential Address :
2. Name and address of the respondent (s);
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office /authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a secision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appelian; is aggrieved
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and dovuments enclosed with the appeal;
6. Grounds of appeal;

   ....
   ...
   ....
   .... (supported by an affidavit)

7

   ....
   ....
   ....
   ....

Place ....

Dated ....

Appellant' Signature

Annexure 3

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 की धारा 7(2) व 11 के अन्तर्गत घोषणा पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 व 11 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :–

धारा 7(2)

1 आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

2 ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता–दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

3 दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

4 वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

5 ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

6 कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

धारा 11

7 किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

i उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान–प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का

ii दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके :

iii उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी–विरोधी व्यवहार का

iv बोली प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का :

v बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार संबंधी संव्यवहारों का:

vi उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या उसकी सम्पत्ति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीडन का :

8 किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का : प्रतिषेध करने

9 हित के विरोध का प्रकटीकरण करने

10 अंतिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के संबंध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के संबंध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने, के उपबन्ध सम्मिलित है।

11 अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी :–

i उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन

ii संविदा–पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना

iii उपापन से संबंधित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना

iv उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली

v उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली

vi उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

बोलीदाता के हस्ताक्षर